ISSN 2395-051X

भारत मे देह व्यापार और कानून
(वेश्यावृति के विशेष संदर्भ में)

डॉ. रश्मि दुबे
प्राध्यापक समाजशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोतर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

हमारे देश में वेश्यावृति का इतिहास बहुत पुराना है क्योंकि यह एक सामाजिक अपराध है इसलिये इसे रोकने के उपाय भी हमेशा से किये जा रहे है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी कुछ ऐसे नियम व कानून बनाये गये थे जिनकी सहायता से वेश्यावृति को नियंत्रित किया जाता था भारत में भी वेश्यावृति की रोकथाम के लिये एक अधिनियम पारित हुआ जो अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 कहलाया वेश्यावृति निरोधक इस कानून का विस्तार संपूर्ण भारत में हैं। इस कानून का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है यह कानून अपना जिस्म बेचने वाली औरतों को तो दोषी मानता है लेकिन पैसे देकर उस स्त्री के शरीर को भोगने वाले व्यक्ति को यह कानून दोषी नहीं मानता। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजकर सरकार से अनुरोध किया है कि वेश्यावृति संबधी कानून में आवश्यक सशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि वेश्यावृति में संलग्न स्त्री के स्थान पर वेश्यागमन करने वाले पुरूष (ग्राहक) को दोषी माना जाये। वेश्यावृति को कानून सम्मत बना दिया जाना चाहिये।

मुख्य शब्द - वेश्यावृति, देह व्यापार, देवदासी, अनैतिक व्यापार अधिनियम ।

विद्वानों के मुताबिक वेश्यावृत्ति का प्रादुर्भाव उसी समय हो गया था जब विवाह नामक संस्था अस्तित्व में आयी क्योंकि इस संस्था के अस्तित्व में आने से पूर्व यौन-निषेध जैसी कोई चीज नहीं थी लेकिन जब विवाह नामक संस्था का गठन हो गया तो पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ यौन संबंधों को अवैध माना जाने लगा। इस प्रतिबंध के चलते ही वेश्यावृत्ति के धंधे का प्रादुर्भाव हुआ। यौन-इच्छा की संतुष्टि, मानव की मूलभूत जैविक आवश्यकता है और इसे रोका जाना लगभग असंभव है। विवाह, यौन संतुष्टि का नैतिक साधन है तो वेश्यागमन इसका अनैतिक साधन है। वेश्यावृत्ति में संलग्न औरतें हर किसी के साथ, बिना किसी भेदभाव के यौन संबंध स्थापित कर लेती हैं क्योंकि उनका मकसद होता है पैसा कमाना। ''स्वप्निल भारत'' के कार्यकारी निदेशक डॉ. निशांत सिंह ने ''वेश्यावृत्ति का मुख्य तत्त्व यौन-संबंध बताया है जो पैसे के लिए और पैसे के बल पर स्थापित किया जाता है। इसमें पैसा मुख्य है और लगाव, आकर्षण आदि नगण्य।'' यदि कोई महिला मात्र अपनी यौन संतुष्टि के लिए एकाधिक लोगों से बारंबार यौन संबंध स्थापित करती है और हर किसी के लिए प्रस्तुत रहती है तो भी उसे वेश्या नहीं कहा जा सकता। ऐसी महिला को हम चरित्रहीन या अत्याधिक कामुक तो

कह सकते हैं लेकिन वेश्या कदापि नहीं। वेश्यावृत्ति का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि इसमें वेश्या और ग्राहक के बीच किसी प्रकार का आकर्षण या लगाव भी नहीं पाया जाता है। ग्राहक मात्र यौन-क्रिया के लिए जाता है और वेश्या सिर्फ पैसे के लिए आती है। एक वेश्या और ग्राहक के बीच स्थापित होने वाले यौन-संबंध और एक पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका के बीच बनने वाले सेक्स-संबंधों में उतना ही अंतर होता है जितना दिन और रात में। पहले प्रकार के संबंध दूसरे प्रकार से बराबरी कर ही नहीं सकते। पहले में यौन इच्छा पूरी होती है तो दूसरे में यौन-संतुष्टि मिलती है। क्लीनार्ड के अनुसार-''वेश्यावृत्ति एक भेदरहित और धन के लिए किया गया यौन-संबंध है जिसमें उद्वेगात्मक उदासीनता पायी जाती है।'' बोंगर कहते हैं कि-''वे स्त्रियां वेश्याएं हैं जो अपने शरीर को यौन-क्रियाओं के लिए बेचती हैं और इसे एक व्यवसाय बना लेती हैं।'' एलिस के अनसार-''वेश्या वह है जो अपने शरीर को बिना किसी विकल्प के, धन के लिए, कई लोगों को मुक्त रूप से उपलब्ध कराती है।'' स्कॉट कहते हैं कि-''एक व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) जो किसी प्रकार की आय के लिए अथवा और किसी प्रकार के व्यक्तिगत फायदे के लिए, पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक व्यवसाय के रूप में, बहुत से व्यक्तियों के साथ, सामान्य अथवा असामान्य यौन-संबंध स्थापित करने में व्यस्त हों, उसे वेश्या कहते हैं।'' हमारे देश में लागू 'महिलाओं एवं बालिकाओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, 1956' में कहा गया है कि यदि कोई स्त्री पैसे या किसी अन्य फायदे के लिए अपने शरीर को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपती है तो यह कार्य वेश्यावृत्ति कहलायेगा। इस कानून से स्पष्ट है कि वेश्यावृत्ति में महिला पैसे के लिए एकाधिक लोगों से यौन-संबंध स्थापित करती है। वेश्यावृत्ति का उद्देश्य आर्थिक लाभ भी हो सकता है और किसी अन्य प्रकार का लाभ भी। यहां स्पष्ट कर दें कि हमारे यहां सिर्फ महिला-वेश्यावृत्ति का जिक्र ही कानून में है। यदि कोई पुरुष धन के लिए अपना शरीर किसी महिला को बेचता है तो उसे भारतीय कानून के मुताबिक वेश्यावृत्ति नहीं कहा जायेगा। निर्धनता, बेरोजगारी, पति की बेवफाई, बलात्कार असामता, अनाथ होना आदि अनेक कारण वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। जिसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वेश्यावृत्ति एक ऐसी व्याधि है जो लगातार बढ़ती जाती है। जब कोई व्यक्ति एक बार वेश्यागमन कर लेता है तो उसकी सारी हिचक समाप्त हो जाती है और उसे वेश्यागमन की लत पड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति परिवार और समाज से विमुख होता जाता है और अंततः वह परिवार और समाज से पूरी तरह से कट जाता है। वेश्यागमन और वेश्यावृत्ति के कारण एड्स जैसी बीमारी भी फैलती है। हालांकि यह वेश्यावृत्ति का स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है लेकिन इसका हमारे समाज पर भी घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह अंततः महामारी का रूप ले लेता है जिसकी चपेट में समूचा समाज आ जाता है। ''वेश्यावृत्ति सामाजिक व्यवस्था के साथ-साथ हमारी पारिवारिक व्यवस्था पर भी बेहद घातक व प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वेश्यागमन के आदी व्यक्ति के अपनी पत्नी से संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाते हैं। पैसे के लिए वेश्याएं यौन-संबंध के दौरान बेहद आपत्तिजनक और अप्राकृतिक प्रकार की क्रियाएं भी कर लेती हैं जो निसंदेह वेश्यागमन करने वाले व्यक्ति को पसंद आती हैं। सामान्य घरों में ऐसा नहीं होता है इसलिए व्यक्ति को पत्नी के साथ यौन-संतुष्टि नहीं मिल पाती है। वेश्यागमन करने वाले व्यक्ति को एक सुविधा यह भी मिलती है कि हर बार वह एक नए नारी जिस्म का भोग कर सकता है

इसलिए पत्नी उसके आकर्षण का केन्द्र नहीं रह जाती है। तथा पिता की गलत हरकतों का बुरा असर बच्चों पर भी पड़ता है और उनमें भी चरित्रहीनता का विकास हो जाता है। इस सबके कारण अक्सर परिवार टूटने के कगार पर भी पहुंच जाते हैं। वेश्यावृत्ति और वेश्यागमन से व्यक्ति का नैतिक रूप से पतन हो जाता है जिसका कुप्रभाव उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों और वेश्यागमन करने वाले पुरुषों में आत्मविश्वास की भारी कमी पैदा हो जाती है और अंततः वे लोग अवसाद का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है जिसका स्पष्ट प्रभाव व्यक्ति के प्रत्येक कामकाज और हरेक रिश्ते पर पड़ता है। ऐसे लोग दोहरा व्यक्तित्व जीते हैं जिस कारण उनका वास्तविक व्यक्तित्व कहीं खो-सा जाता है।

''वेश्यावृत्ति का सबसे अधिक कुप्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार सेक्स में रत रहने के कारण व्यक्ति शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति मानसिक रूप से भी दुर्बल और बीमार हो जाता है। चिकित्साशास्त्र की दृष्टि से देखें तो कुछ जानलेवा रोग ऐसे होते हैं जो असुरक्षित सेक्स और एकाधिक लोगों के साथ यौन-संबंध स्थापित करने के कारण पैदा होते हैं। सुजाक, सिफलिस, इनोरकिया और एड्स ऐसे ही जानलेवा यौन-संक्रमित रोग हैं।'' वेश्याओं की व्यावसायिक उम्र बेहद कम होती है, वे केवल 4-5 साल ही ग्राहकों को आकर्षित कर पाती हैं। वेश्याओं के पास ग्राहक तभी तक जाता है जब तक उनका जिस्म जवान रहता है, जिस्म के ढलान पर आते ही वेश्याओं के सामने ग्राहकों का अकाल सा पड़ जाता है और नौबत भूखों मरने तक की आ जाती है। इस पेशे में 4-5 साल गुजारने पर ही वेश्याएं विभिन्न प्रकार के शारीरिक व यौन संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाती हैं। यही कारण है कि अधिकतर वेश्याओं की उम्र काफी कम होती है और उनका अंतिम समय बेहद अभावों में बीतता है। एड्स जैसे महारोग से केवल वेश्याएं और वेश्यागमन करने वाले पुरुष ही पीड़ित नहीं होते हैं बल्कि घरों की सामान्य महिलाएं भी इसकी चपेट में आ जाती हैं। उन्हें यह रोग अपने वेश्यागामी पतियों से मिलता है। वेश्यावृत्ति के कारण अपराध और आपराधिकता को भी बढ़ावा मिलता है। अक्सर लोग शराब और अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करके वेश्याओं के पास जाते हैं जिस कारण विभिन्न प्रकार के अन्य अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है। वेश्याओं के पास जाने की चाह में अक्सर गरीब तबके के लोग भी छोटे-मोटे अपराध करने लगते हैं ताकि वेश्यागमन का खर्च उठाया जा सके। कोठों का माहौल बेहद असामाजिक प्रकार का होता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव वहां काम करने वाले बच्चों पर पड़ता है और ऐसे बच्चे अक्सर अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। विश्वप्रसिद्ध वात्स्यायन के महाग्रंथ कामसूत्र में वेश्याओं के निम्नलिखित 3 प्रकार बताए हैं: गणिका, रूपजीवा, सामान्य वेश्या आज के आधुनिक युग में भी भारत में वेश्याओं के कई वर्ग काम कर रहे हैं। जैसे - सामान्य वेश्याएं, वंशानुगत वेश्याएं, परंपरागत वेश्याएं, होटल वेश्याए, धार्मिक वेश्याएं, कॉलगर्ल्स, विदेशी वेश्याएं ।

प्राचीन भारत में देवदासी नामक प्रथा प्रचलित थी। ये देवदासियां वास्तव में धार्मिक वेश्याएं ही होती थीं। इनके जिस्म का सौदा धर्म की आड़ में किया जाता था। आज भी उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में धार्मिक वेश्याएं (देवदासिया) पायी जाती हैं। कॉलगर्ल्स उन्हें कहा जाता है जो ग्राहक के

ISSN 2395-031X

स्थान, घर, आदि पर जाकर उन्हें अपनी सेवाएं मुहैया कराती हैं। कोठों की वेश्याओं तक ग्राहक खुद चल कर पहुंचता है जबकि कॉलगर्ल्स स्वयं ग्राहक के पते पर पहुंच जाती हैं। ये अपेक्षाकृत पढ़ी-लिखी और अच्छे घरों से ताल्लुक रखने वाली आधुनिक युवतिया होती हैं जिनसे फोन, सेलफोन या ई-मेल द्वारा संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली और मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में 'मसाज पार्लर' के नाम पर इनके विज्ञापन, टेलीफोन नंबर के साथ छपते हैं। विदेशी वेश्याएं वे होती हैं जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में देह-व्यापार करती हैं ताकि उन्हें अच्छी कीमत मिल सके। सोवियत संघ के विघटन के बाद हमारे देश में रूस, आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान की काफी युवतियां इस धंधे में आ गयीं। इसके अलावा चीनी, अफगानी और पाकिस्तानी युवतियां भी भारत में खूब देह व्यापार कर रही हैं। दिल्ली में रूसी कॉलगर्ल्स ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। विदेशी कॉलगर्ल्स काफी महंगी होती हैं।

आज सुंदर नारी - देह मात्र एक फोन कॉल की ही दूरी पर है। सिर्फ एक फोन करके या एजेंट से संपर्क करके देह-व्यापार करने वाली युवतियों को अपने घर या होटल पर बुलाया जा सकता है। ग्राहक की जगह पर आकर उन्हें यौन संतुष्टि देने वाली ये युवतियां 'कॉलगर्ल्स' कहलाती है। यह पुराने धंधे का ही नया रूप है। कोठों की अधिकांश वेश्याएं आर्थिक दिक्कतों के चलते इस बदनाम पेशे को अपनाती हैं इसलिए उनके रहन-सहन का स्तर बेहद निम्न होता है और आमतौर पर वे अनपढ़ या अल्पशिक्षित ही होती हैं। इसके विपरीत कॉलगर्ल्स उच्च-शिक्षित होती हैं और काफी ग्लैमरस ढंग से रहती हैं। ये कॉलगर्ल्स अत्याधुनिकता के लबादे में अपने आपको ढके रहती हैं। ग्लैमरस जीवनशैली और अत्याधुनिक 'आउटलुक' के कारण ये कॉलगर्ल्स, उच्च और धनी आय वर्ग के पुरुषों को भी रिझाने में कामयाब रहती हैं। फलस्वरूप इन्हें ज्यादा पैसा मिलता है और ये अपनी आधुनिक जीवनशैली को बनाए रखती हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि हाई-प्रोफाइल कॉलगर्ल्स के जिस्म की कीमत का भुगतान क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए भी किया जा सकता लेकिन यह सच है, सौ फीसदी सच। परंपरागत रूप से अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग वेश्याओं या कॉलगर्ल्स का उपयोग करते थे लेकिन भौतिकता के इस युग में यह परंपरा भी कुछ बदल गयी है। अब राजनेताओं और उच्च सरकारी अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर 'शबाब' पेश करने की परंपरा काफी चल निकली है। 'बिजनेस डील' के लिए भी कॉलगर्ल्स पेश की जाती हैं।

सभी लोग मानते हैं कि कोई स्त्री बेहद मजबूरी में ही जिस्मफरोशी को मजबूर होती है। और आम धारणा भी यही है कि आर्थिक दिक्कतों और कुछ सामाजिक मजबूरियों या अपराधियों द्वारा मजबूर किए जाने पर ही कोई महिला वेश्यावृत्ति के बदनाम धंधे को अपनाती है। महानगरों के कोठों पर किए गए अध्ययन भी बताते हैं कि अधिकतर वेश्याएं बेहद निम्नस्तरीय परिवारों से ताल्लुक रखती हैं और अपना व अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही वे जिस्म बेचने लगती हैं, लेकिन यह तस्वीर का एक ही रुख है और भूख मिटाने के लिए जिस्म बेचने की बात कुछ समझ में भी आती है लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बेहद स्याह और शर्मनाक है। तस्वीर का एक और शर्मनाक पहलू यह है कि आजकल अच्छे घरों की छात्राएं भी जिस्म फरोशी के पेशे को

आधुनिकता के नाम पर अपना रहीं हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलूर और हैदराबाद जैसे आधुनिक महानगरों में कुछ छात्राएं भी अपने पंचतारा शौक और मौजमस्ती के लिए दूसरे के बेडरूम की शोभा बन जाती है।

जैसे-जैसे युग बदल रहा है वैसे-वैसे समाज का चरित्र भी बदलता जा रहा है और इसी के साथ वेश्याओं के मामले में बदल रही है ग्राहकों की मांग। अब ग्राहक वयस्क वेश्याओं के स्थान पर अबोध बच्चियों या किशोरियों को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। वैसे यह व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का मामला है लेकिन तथ्य यही है कि आजकल बाल वेश्यावृत्ति काफी अधिक प्रचलन में है। वेश्याओं की बेटियां या गरीब इलाकों से भगाकर या अपहरण करके लायी गयीं बच्चियां इस धंधे में ज्यादा हैं। बाल-वेश्यावृत्ति एक गंभीर कानूनी अपराध तो है ही, साथ ही यह समाज के मुंह पर एक तमाचा भी है बहुत से पर्यटक तो सिर्फ बाल वेश्याओं की तलाश में ही पर्यटन करते हैं। मौज-मस्ती के लिए इधर-उधर जाने वाले पर्यटकों के बीच बाल-वेश्याएं बेहद लोकप्रिय हैं। सन् 2006 के अंत में चर्चित रहे निठारी (नोएडा) कंकाल मामले का अभियुक्त मोनिंदर पंधेर तो सिर्फ बाल वेश्याओं के जिस्म को भोगने और बच्चों का नग्न-नृत्य देखने लास-वेगास सहित दुनियाभर के देशों की यात्राएं करता था। बाल-वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के जिलों से लायी जाती हैं। कितना अनैतिक है वह कुकृत्य जिसमें अपनी बेटी से भी कम उम्र की बच्चियों के मासूम जिस्मों से प्रौढ़ व वृद्ध खेलते हैं, उनके अबोध जिस्म पर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं।

बाल-वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा काफी सख्त कानून बनाए गए हैं लेकिन प्रभावी ढंग से अमल में न लाने के कारण बाल-वेश्यावृत्ति सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। बाल वेश्याओं के साथ यौन-संबंध स्थापित करने वाले ग्राहकों पर बलात्कार का भी मामला चलाया जाता है लेकिन फिर भी यह गंदा धंधा रुक नहीं पा रहा है। बाल वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है क्योंकि बाल-वेश्यावृत्ति हमारे सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा है, बदनुमा दाग है। यदि हम बाल-वेश्यावृत्ति को नहीं रोक सकते तो फिर हमें सभ्य या विकसित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है।

भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए गए थे जिनकी सहायता से वेश्यावृत्ति को नियंत्रित किया जाता था और कमोवेश वही नियम-कायदे आज भी लागू हैं। 9 मई, 1950 को न्यूयॉर्क में एक अंतर्राष्ट्रीय चार्टर पर विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किये ताकि वेश्यावृत्ति के अनैतिक व्यापार को रोका जा सके। भारत में इस प्रकार का एक अधिनियम सन् 1956 में पारित किया गया जो 'अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956' कहलाया। वेश्यावृत्ति निरोधक इस कानून का विस्तार समूचे भारतवर्ष में है। इस अधिनियम का उद्देश्य वेश्यावृत्ति की व्यावसायिकता को समाप्त करना है। इस प्रकार यह अधिनियम, जीवनयापन के लिए संगठित व्यवसाय के साधन के रूप में वेश्यावृत्ति को दंडनीय बनाने के प्रयोजन के लिए है। यदि कोई वयस्क स्त्री और पुरुष, जो परस्पर पति-पत्नी भी नहीं हैं, आपस में एक-दूसरे की सहमति से संभोग करते हैं तो उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। यह अधिनियम मात्र तभी लागू होता है जब संभोग के बदले धन का आदान-प्रदान किया गया हो।

भारत के संविधान में गरिमामय प्रतिष्ठा के जीवन का उल्लेख अपनी प्रस्तावना में किया है, भारत के

सभी नागरिक को जीवन प्रदान करने का अवसर दिया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर का व्यवसाय किया जा रहा है, यौन क्रियायों हेतु अपने शरीर को किसी अन्य व्यक्ति को धन के बदले सौंपा जा रहा है तब इस स्थिति में गरिमा सिद्धांत की अवहेलना होती है। यद्यपि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 मानव अवैध व्यापार की समस्या के समाधान के लिये प्रवृत है किन्तु अधिनियम में केवल वेश्यावृति के लिये अवैध व्यापार का संदर्भ है इसलिये यह बच्चों को व्यापक संरक्षण नहीं प्रदान करता इस अधिनियम में अवैध व्यापार की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इसलिये संशोधित अधिनियम 1986 पारित किया गया जिसका नाम इम्पोरल ट्रेफिक प्रिवेंशन एक्ट नाम दिया गया इसके अन्तर्गत देह व्यापार का प्रचार करना भी अपराध है किसी भी तरह की सेक्स सर्विस का विज्ञापन या फोन नम्बर किसी भी माध्यम से प्रेषित करना गैर कानूनी है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में वेश्यालय नहीं चलाया जा सकता। इसी तरह से मसाज क्लबों या हेल्थ - स्पा के नाम से की जा रही अनैतिक गतिविधियां या संगठित देह व्यापार अपराध है परन्तु इन अपराधों के लिये अधिकतर कानूनी धारायें जमानती हैं। जो ग्राहक वेश्यायों के साथ संबंध रखते हैं या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में 200 गज की दूरी के अन्दर वेश्यावृति से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं उन्हें 3 माह की सजा का प्रावधान है अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र की किसी लड़की के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो संबंधित महिला या पुरूष को 8 से 10 साल की सजा हो सकती है।

ऐसे लोग जो वेश्यावृति के व्यवसाय को चलाते हैं तथा वेश्यालयों की रखवाली करते हैं उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। जिसके लिये वे खुद जिम्मेदार हैं। इस अपराध के लिये उसे तीन साल की सजा सुनाई जाती है। यदि कोई महिलाओं की दलाली करने वाला दलाल जबरन किसी महिला को अपने वेश्यालय में वैश्या बनाकर रखने का प्रयास करता है और फिर उसे यौन शोषण के लिये बाध्य करता है तो उसे 7 वर्षो की सजा का प्रावधान है। इस कानून ने काफी हद तक होटलों में हो रही वैश्यावृति पर भी रोक लगाई है।

सेक्स वर्कर श्रम कानूनों के तहत नहीं आते हैं लेकिन उनके पास भी अधिकार हैं। उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के बाद प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत में वेश्यावृति वैध होना चाहिये इस पर दो प्रकार की विचारधारा है प्रथम वर्ग जो इसका समर्थक है उनका कहना है कि वेश्यावृति के लिये कानून बनाया जाये तथा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिये यौन कर्मियों की संख्या कम करने का प्रयास सरकार को करना चाहिये तथा वेश्यावृति को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिये उच्च अधिकारियों को बच्चों की तस्करी पर रोक लगाना चाहिये। अधिकांश यौन कर्मी जीवित रहने के लिये वेश्यावृति करने को मजबूर है तथा वे कानूनी दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा वर्ग जो वेश्यावृति के कानून के खिलाफ है उनके अनुसार मजबूरी में की जाने वाली वेश्यावृति को तो बंद किया जा सकता है पर स्वेच्छा से की जा रही गतिविधि पर अंकुश लगाना ठीक नहीं क्योंकि ये उनके भरण पोषण व जीवन यापन से संबंधित हैं। वेश्यावृति को कानूनी दर्जा मिलने से तस्करी बढ़ जायेगी।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने हाल ही में अनैतिक वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को और विचार-विमर्श के लिए समिति को लौटाया है। इसे खासतौर से उस प्रावधान पर विचार करने के लिए

वापस किया गया है जिसमें यौनकर्मियों के ग्राहकों को दण्ड देने की व्यवस्था है। इस संशोधन की शुरूआती मंशा यह थी कि वेश्यावृति की बढ़ती प्रवृत्ति को रोका जाए। लेकिन रोकथाम के धन्धे में लगी औरतों की संख्या कम करने प्रत्यक्ष परिणाम की प्राप्ति की कोशिश वाले इस प्रस्ताव से वैश्यावृति में फंसी औरत का नुकसान हो सकता है, भले ही इसका उद्देश्य उनकी हालत में सुधार लाना हो।

वेश्यावृति रोकने के संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल के तहत वेश्यावृत्ति ऐसा अपराध है जो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से विरूद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जबरन ले जाने के कारण होता है। नये संशोधन से न तो वेश्यावृत्ति रूकती है और न ही स्त्रियों की रक्षा होती है। इसके विपरीत ये सुधार पुरानी रूढ़ियों और अदूर दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। इनमें भारतीय मूल्यों के बारे में अपरिवर्तनशील पूर्वानुमान शामिल हैं।

जिन नैतिक उद्देश्य की बात करके इन सुधारों की शुरूआत की गई है। उनसे किसी को लाभ नहीं होगा। इससे राष्ट्र को गरीबी, मांग, और सीमाएं बन्द करने जैसे उन असली कारणों का पता भी न चल पाएगा जिन्हें समझ कर एचआईवी के विरूद्ध अभियान को सफल बनाया जा सकता था। इतनी ही हानिकारक एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आई है जिसे महिलाओं में जबरन वेश्यावृति पर वेश्विक गठबंधन ने प्रकाशित की है। इसमें साफ सबूत है कि वेश्यावृति विरोधी अभियानों के जरिए मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को एक ऐसी व्यापक प्रवास नीति बनानी चाहिए जिससे श्रमिकों को उनके अधिकार मिलें और अपने नियोक्ता, ग्राहक अथवा सहकर्मियों के हाथों होनेवाले शोषण से बचने में सहायता मिले। अनैतिक मानव तस्करी पर लगाम लगाने का एकमात्र रास्ता यह होगा कि अधिकार देकर इसके शिकार होनेवालों का सशक्तीकरण किया जाए।

संदर्भ -

1. श्री निवासन, आमिया, द राइट टू सेक्स, ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग, पी. एल. सी 2021
2. स्मिथ, मोली एवं मेक, जोनो - रिवोल्टिंग प्रोस्टीट्यूट, यू.के. 6 मियर्ड स्ट्रीट, लन्दन 2018
3. सिंह, मीनाक्षी, महिला कानून, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013
4. डॉ. सियाराम, नई सदी में भारत चुनौतियां एवं समाधान के उपाय, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012
5. लांबा, नीना, व्यवसायिक यौन कर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरों, (गृहमंत्रालय) नई दिल्ली, 2012
6. वर्मा, सवलिया बिहारी, ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, (ग्रंथमाला 18) यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011।
7. वर्मा, सवलिया बिहारी, ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, (ग्रंथमाला 20) यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011।
8. विजयश्री, प्रियदर्शिनी, देवदासी या धार्मिक वेश्या, वानी प्रकाशन, 2010
9. अंजली, भारत में महिला अपराध, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005